

प्रेस नोट थाना लोधा, अलीगढ़।

दिनांक:-12.10.2020

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना हाजा पर वादी श्रीमती साहबजादी पत्नी बाबू नि0 ग्राम फरीदपुर मौहल्ला कस्साबार थाना फरीदपुर जिला बरेली की लिखित तहरीर आधार पर वादी के लड़के मौहम्मद यासीन उम्र करीब 30 वर्ष जो अलदुआ मीट फैक्ट्री अलीगढ़ में ठेकेदार(इकबाल) के अधीन रहकर लेवर का काम करता था 8-10 दिन पहले से लड़के मौहम्मद यासीन से बात न हो पाने पर लड़की मीना के द्वारा यासीन के दोस्त अनवर पुत्र नेक मौहम्मद नि0 आसिफ बाग नीवरी थाना देहलीगेट अलीगढ़ से द्वारा मोबाईल जानकारी करने पर 02-03 दिन में लड़के मौहम्मद यासीन के आने की बात बतायी गयी। 06/10/2020 को शाम के समय अलदुआ मीट फैक्ट्री के पीछे काफी पुरानी अज्ञात पुरूष का शव अरहर के खेत में मिलने पर ठेकेदार द्वारा सूचना दी कि आप आकर देख लें पहचान नहीं हो पा रही है मौके पर आकर शव की पहचान करने पर शव की स्वयं के पुत्र यासीन के होने की पुष्टि करते हुये दी गयी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 207/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ श्री मुनिराज जी महोदय द्वारा वांछित अपराधी/संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभिषेक के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी गभाना श्री विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री रामवकील सिंह द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2020 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात में निरीक्षण घटनास्थल व बयान वादिया व गवाहान के आधार पर मृतक यासीन के दोस्त अनवर पुत्र नेक मौहम्मद नि0 उपरोक्त से संदिग्धता के आधार पर की गयी तो पूछताछ से अनवर द्वारा ही जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि कुछ पैसों के लालच में आकर आपसी गलत सम्बन्ध बनाने की बात करते हुये मैं दिनांक 28/09/2020 दिन सोमवार को यासीन को अरहर के खेत में दोपहर के करीब ले गया और वहाँ जाकर पहले मेरे द्वारा गलत काम करने के लिये यासीन से कहा गया जिस पर वह सहमत हो गया और जैसे ही यासीन लोअर को खिसका कर झुका तभी मेरे द्वारा अपनी पैन्ट की फैट से चाकू निकालकर उसका गला काट दिया, जिससे वह गिर गया, जिसके बाद मेरे द्वारा गले पर और वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मैं अरहर के खेत से बाहर आकर झाड़ियों में चाकू छिपाकर अपने घर चल गया। अभियुक्त अनवर की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू को बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर जुर्म से अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में लिया गया जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 208/20 धारा 4/25 A Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्तग-

अनवर पुत्र नेक मौहम्मद नि0 आसिफ बाग नीवरी थाना देहलीगेट अलीगढ़

बरामदगी:-

एक अदद चाकू (आला कत्ल)

अभियुक्त अनवर का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 207/20 धारा 302/201 भादवि

2-मु0अ0सं0 208/20 धारा 4/25 A Act

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. थानाध्यक्ष श्री रामवकील सिंह थाना लोधा, अलीगढ़ ।
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार राणा थाना लोधा, अलीगढ़ ।
3. कां0 1507 राहुल कुमार थाना लोधा, अलीगढ़ ।
4. कां0 1895 नागेन्द्र कुमार थाना लोधा, अलीगढ़ ।
5. कां0 1075 सोनू बालियान थाना लोधा, अलीगढ़ ।

मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

अलीगढ़ ।